मैसर्स सिंह एंटरप्राइजेज

बनाम

कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साईज, जमशेदपुर व अन्य

दिसम्बर, 14, 2007

[डॉ. अरीजित पशायत एण्ड आफताब आलम, जे.जे.]

केंन्द्रीय एक्साईज अधिनियम 1944 धारा 35(1)परन्तुक-आयुक्त के समक्ष अपील-परिसीमा आयुक्त (अपील) ने 21 माह की देरी को क्षमा करने से इनकार किया-अभिनिर्धारित किया गया-जिस अवधि तक विलंब की क्षमा के लिए प्रार्थना की जा सकती है, वह विधि द्वारा प्रावधित किया हुआ है - धारा 35 की उपधारा (1) का परन्तुक यह स्थिति स्पष्ट करता है कि अपीलीय प्रा धिकरण के पास यह शक्ति नहीं है कि वह अवधि के बाहर अपील को पृस्तुत करने की अनुमित दे सके। धारा 5 परिसीमा अधिनियम का पूर्ण बहिष्कार है।

हस्तगत अपील उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें उच्च न्यायालय द्रा आयुक्त अपील केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के आदेश को जिसमें आयुक्त द्वारा निर्धारिति द्वारा मूल आदेश के तामील के 21 महीने बाद फाईल की गई थी, को अस्वीकार कर दिया गया

था, जिसमें उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि प्राधिकारी के पास धारा 35 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के तहत निर्धारित 60 दिवस की समाप्ति के बाद 30 दिन के बाद देरी को माफ करने की शक्ति नहीं है।

निर्धारिती अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयाेग करते हुए देरी को माफ कर सकता है। यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का उपयोग देरी को क्षमा किये जाने के लिए किया जा सकता है।

अपील को अस्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 35 (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 जैसा वह उस समय था स्पष्ट करता है कि अपील 60 दिन के अन्दर पेश होनी थी किन्तु परंतुक के संदर्भ में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त 30 दिनों का समय दिया जाना चाहिए। इस प्रकार अपील पर विचार करने के लिएधारा 35(1) का परंतुक इस स्थिति को स्पष्ट करता है कि आदेश अथवा निर्णय के सुनाये जाने के तीन महीने के अन्दर अपील पेश की जानी चाहिए। (पैरा 8) (956-ए-सी)

धारा 35 की उप धारा (1) का प्रावधान, जैसा कि प्रासंगिक समय पर था, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करता है कि अपीलीय प्राधिकारी के पास यह शक्ति नहीं है कि वह यह अनुमति दे कि 30 दिन की अवधि बाद वह

अपील को प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। इस्तेमाल की गई भाषा स्थिति को स्पष्ट करती है कि विधायिका का इरादा अपीलीय प्राधिकारी को अपील सुनने के लिए 60 दिन की अवधि गुजर जाने के बाद 30 दिन तक की देरी को क्षमा कर सकता है जो अपील दायर करने की सामान्य अवधि है। इस प्रकार धारा 5 परिसीमा अधिनियम का पूर्ण बहिष्कार है। इसलिए आयुक्त अपील एवं उच्च न्यायालय का यह माना उचित था कि 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं थी। (पैरा 8) (956-बी-डी)

कमिश्नर आयुक्त अपील एवं अधिकरण विधि द्वारा स्थापित अधिकरण संपूर्ण मं यह शक्ति निहित है कि वे विधि के अन्दर वर्णित अवधि तक ही देरी को क्षमा कर सकते हैं जिस अवधि तक देरी क्षमा करने की प्रार्थना को स्वीकार किया जा सकता है वह विधि द्वारा बतायी गई है। (पैरा 8) (955-जी)

"पर्याप्त कारण एक अभिव्यक्ति है जो विभिन्न कानूनों में पायी जाती है जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है पर्याप्त। देरी को क्षमा करने के संबंध में दिये गये स्पष्टीकरण को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कोई सख्त सूत्र नहीं है। इस मामले में 20 महीने की असामान्य देरी को क्षमा करने के लिए यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि अपीलकर्ता 1988 के बाद व्यावहारिक रूप से बंद हो गई थी और सिर्फ थोडे समय के लिए खोला

गया था। देरी क्षमा किए जाने के प्रार्थना पत्र में यह जाहिर होता है कि अपीलकर्ता ने यह स्वीकार किया है कि आदेश की प्राप्ति होने के बाद उस आदेश को तुरंत ही सलाहकार को अपील दायर करने के लिए दे दिया गया था। किसी भी परिस्थिति में जो कारण देरी को क्षमा करने के लिए दिया गया है वो क्षमा किये जाने योग्य नहीं है।

आई.टी.सी. लि. बनाम युनियन ऑफ इंडिया [1998]8 एससीसी 610

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील नम्बर 5949/2007

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची रिट पीटिशन नं. 6360/2004 में अंतिम निर्णय व आदेश की दिनांक 03.01.2006

सुनिल कुमार, अभय पी. सहाय और कुलदीप सिंह ...अपीलार्थी की ओर से।

बी. कृष्णा..... प्रत्यर्थीगण की ओर से।

निर्णय न्यायालय द्वारा सुनाया गया-

न्यायाधिपति डॉ. अरिजीत पसायत

अनुमति दी गई।

इस अपील में अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने वाले झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता ने आयुक्त (अपील), केंद्रीय

उत्पाद शुल्क और सेवा कर, रांची द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 35 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश को एक रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। आयुक्त ने अपील को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह मूल आदेश की तामील की तारीख के 21 महीने बाद दायर की गई थी और अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर करने के लिए प्रावधित 60 दिवस की अवधि के समाप्त होने के बाद 30 दिन की अवधि के बाहर की देरी को क्षमा करने की शक्ति नहीं है।

डिवीजन बेंच ने कहा कि चूंकि आयुक्त के पास वैधानिक रूप से निर्धारित अवधि से परे माफी की कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए रिट याचिका निराधार थी। उच्च न्यायालय के समक्ष इस न्यायालय द्वारा आईटीसी लिमिटेड बनाम भारत संघ (1998(8)एससीसी 610) में पारित निर्णय का आधार मानकर यह बहस की गई है कि उच्च न्यायालय के पास देरी को माफ करने की शक्ति थी। इस रूख को हाई कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।

अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि भले ही तर्क के लिए यह स्वीकार कर लिया जाए कि आयुक्त के पास देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं थी, फिर भी उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर देरी माफ कर सकता है।

यह कहा गया है कि इस संबंध में शक्ति किसी भी वैधानिक प्रावधान से अछूती है।

दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने आयुक्त और उच्च न्यायालय के आदेशों का समर्थन किया।

इस समय, अधिनियम की धारा 35 पर ध्यान देना प्रासंगिक है जो इस प्रकार है :

आयुक्त को अपील (अपील)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त से कम रैंक वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत पारित किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील कर सकता है [इसके बाद इस अध्याय में संदर्भित किया गया है आयुक्त (अपील)] को ऐसे निर्णय या आदेश की सूचना की तारीख से साठ दिनाेंं के भीतर

बशर्ते कि आयुक्त (अपील) यदि संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को साठ दिनों की उपरोक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह इसे तीस दिनों की अतिरिक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

इस धारा के तहत प्रत्येक अपील निर्धारित प्रपत्र में होगी और निर्धारित तरीके से सत्यापित की जाएगी।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 11.05.2001 से, 2001 के अधिनियम 14 द्वारा साठ दिन और तीस दिन की अवधि को तीन महीने के भीतर और तीन महीने में से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) और अधिकरण को कानून के तहत प्रदान की गई अनुमेय अवधि से परे देरी को माफ करने का अधिकार क्षेत्र निहित है। माफी की प्रार्थना किस अवधि तक स्वीकार की जा कसती है, यह वैधानिक रूप से प्रदान किया गया है। यह निवेदन किया गया कि देरी की माफी के लिए भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 (संक्षेप में परिसीमा अधिनियम) की धारा 5 के तर्क का लाभ उठाया जा सकता है। धारा 35 का पहला परंतुक स्थिति को स्पष्ट करता है कि निर्णय या आदेश की सूचना उसे भेज जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर अपील की जानी चाहिए। हालाँकि, यदि आयुक्त संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को 60 दिनों की उपरोक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह इसे 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। दूसरे शब्दों में, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपील 60 दिनों के भीतर दायर की जानी है, लेकिन परंतुक के संदर्भ में अपील पर विचार करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 30 दिनाें का समय दिया जा सकता है। धारा 35 की उपधारा (1) का परन्तुक यह स्थिति स्पष्ट करता है कि अपीलीय प्राधिकारी के पास यह शक्ति नहीं है कि

वह 30 दिन की अवधि के बाद अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दे सके। इस्तेमाल की गई भाषा स्थिति को स्पष्ट करती है कि विधायिका का इरादा अपीलीय प्राधिकारी को 60 दिनों की समाप्ति के बाद केवल 30 दिनों तक की देरी को माफ करके अपील पर विचार करने का था, जो अपील करने की सामान्य अवधि है। इसलिए, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का पूर्ण बहिष्कार है। इसलिए आयुक्त और उच्च न्यायालय का यह मानना उचित था कि 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं थी।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कुछ निर्णयों पर जोर दिया है, विशेष रूप से, आईटीसी के मामले (सुप्रा) में यह तर्क देने के लिए कि उच्च न्यायालय और इस न्यायालय ने उचित मामलों में पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर देरी को माफ कर दिया है।

पर्याप्त कारण एक अभिव्यक्ति है जो विभिन्न कानूनों में पाई जाती है। इसका मूलतः मतलब पर्याप्त है। कदम उठाने में हुई देरी के लिए दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार या अस्वीकार करने का कोई सख्त फार्मूला नहीं हो सकता। मौजूदा मामले में, लगभग 20 महीने की असामान्य देरी के लिए स्पष्टीकरण यह दिया गया है कि अपीलकर्ता कंपनी 1998 के बाद व्यावहारिक रूप से बंद हो गई थी और इसे केवल कुछ छोटी अवधि के लिए खोला गया था। देरी की माफी के लिए आवेदन से ऐसा प्रतीत होता है

कि अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है कि आदेश प्राप्त होने पर उसे अपील दायर करने के लिए तुरंत सलाहकार को सौंप दिया गया था। यदि ऐसा है, तो यह दलील कि व्यवसाय में अनुभव की कमी के कारण देरी हुई, उचित नहीं है। आईटीसी मामले की विशिष्ट पृष्ठभूमि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस मामले (सुप्रा) का प्रतिपादन किया गया था। उस मामले में इस न्यायालय द्वारा कोई कानून घोषित नहीं किया गया था कि भले ही कानून ने सीमा की एक विशेष अवधि निर्धारित की हो, यह न्यायालय माफी का निर्देश दे सकता है। यह सीमा के लिए एक विशिष्ट प्रावधान प्रदान करेगा, बल्कि अत्यधिक उपयोगी होगा। किसी भी स्थिति में, क्षमादान के लिए दर्शाए गए कारणों का कोई स्वीकार्य मूल्य नहीं है। मामले को देखते हुए, अपील खारिज करने योग्य है, जिसका हम निर्देश देते हैं। कोस्ट के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हिमानी चतुर्वेदी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।